संख्या-2023/001-407422023

प्रेषक,

नवनीत सहगल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खेल अनुभाग लखनऊ : दिनांक **13** फरवरी**, 2023**

विषय:- जनपद प्रयागराज के जार्जटाउन में निर्मित तरणताल के जीर्णोद्धार के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-जी-1294/नि0प्रयागराज तरणताल पत्रा0/2022-23, दिनांक 06.02.2023 तथा शासनादेश संख्या-1232/बयालिस-2018-17(बजट)/2019, दिनांक 16.08.2019, शासनादेश संख्या-1946/बयालिस-2020-17(बजट)/2019, दिनांक 03.12.2020 एवं शासनादेश संख्या-1187/बयालिस-2020-17(बजट)/2019, दिनांक 14.07.2021 के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद प्रयागराज के जार्जटाउन में निर्मित तरणताल के जीर्णोद्धार हेतु नामित कार्यदायी संस्था कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (उ0 प्र0 जल निगम) द्वारा गठित आगणन के सापेक्ष ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा आंकलित धनराशि रूपया 337.36 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उक्त के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2019-20 में रू0 50.00 लाख, वित्तीय वर्ष 2020-21 में रू0 50.00 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 में रू0 100.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के उपरान्त वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-22 के लेखाशीर्षक " 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय-64-जनपद प्रयागराज के तरणताल का जीर्णोद्धार हेतु बजट में प्राविधानित धनराशि रू0 1,00,00,000(रुपये एक करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(1)- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 1,00,00,000-00 (रुपये एक करोड़ मात्र) निदेशक, खेल द्वारा कोषागार से आहरित करके कार्यदायी संस्था कन्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (उ0 प्र0 जल निगम) को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2022-23 में उपलब्ध बजट के अन्तर्गत दी जा रही है।

(2)- कार्य की विशिष्टियां मानक एवं गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, खेल एवं कार्यदायी संस्था की होगी।

(3)- स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(4)- प्रायोजना की लागत में टाइम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन न हो अत: इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर- 212 (VII) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5)- लेबर सेस/जी0एस0टी0 के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी ।

(6)- प्रायोजनान्तर्गत यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत में धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है ।

(7)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 के प्रस्तर-7 में उल्लिखित परियोजनाओं में टाइम ओवर/रन कास्ट ओवर रन को नियंत्रित करने विषयक वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्याय-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या-23/2022/बी-1-749/दस-2022-231/2022, दिनांक 04.11.2022 में दी गयी व्यवस्था/निर्देशों का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8)- स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 19 अक्टूबर, 2015 में अंकित शर्तो एवं निर्देशों का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(9)- निदेशक, खेल कार्य की गुणवत्ता की जॉच कराने हेतु समय-समय पर समिति गठित कर जॉच कराये, उक्त के उपरान्त कार्य से संतुष्ट होने के पश्चात जिलाधिकारी द्वारा गठित गुणवत्ता समिति से जॉच कराने के उपरान्त पूर्णतय: संतुष्ट होने के उपरान्त ही हैंडओवर-टेकओवर की कार्यवाही करायें ।

(10)- शासनादेश संख्या-1232/बयालिस-2018-17(बजट)/2019, दिनांक 16.08.2019, शासनादेश संख्या-1946/बयालिस-2020-17(बजट)/2019, दिनांक 03.12.2020 एवं शासनादेश संख्या-1187/बयालिस-2020-17(बजट)/2019, दिनांक 14.07.2021 में अंकित शेष शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 022 लेखा शीर्षक 4202038006400 जनपद प्रयागराज के तरणताल का जीर्णोद्धार मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(नवनीत सहगल)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-**2023/001-407422023,** तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज ।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0 प्र0 प्रयागराज ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- जिलाधिकारी, प्रयागराज ।
5- क्षेत्रीय क्रीडाधिकारी, क्षेत्रीय खेल कार्यालय, प्रयागराज ।
6- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (उ0 प्र0 जल निगम)लखनऊ ।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
10- नियोजन अनुभाग-4
11- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति ।

आज्ञा से,

(विनीत प्रकाश)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।